



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277031
CG-DL-E-10102026-277031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5302]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5302]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5514(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के 43+500 किमी में ओंग नदी पर नए प्रमुख उँचा पुल का ईपीसी मोड पर निर्माण के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब-क्लेक्टर, बलांगीर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के 43+500 किमी में ओंग नदी पर नए प्रमुख उँचा पुल का ईपीसी मोड पर निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: बलांगीर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बलांगीर					
गांव का नाम: सालेभटा					
1	1629	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.015 (एकर)	0.0060704
2	1631	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.133 (एकर)	0.0538244
3	1667	निजी	रेजिडेंशियल	0.007 (एकर)	0.0028329
4	1677	निजी	एग्रीकल्चर	0.08 (एकर)	0.0323756
5	1680	निजी	एग्रीकल्चर	0.079 (एकर)	0.0319709
6	1704	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.081 (एकर)	0.0327802
7	1707	सरकारी	रेजिडेंशियल	0.251 (एकर)	0.1015783
8	1707/2611	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.378 (एकर)	0.1529745
9	1709	सरकारी	रेजिडेंशियल	0.004 (एकर)	0.0016188
10	1710	सरकारी	रेजिडेंशियल	0.147 (एकर)	0.0594901
11	1711	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.765 (एकर)	0.7142857
12	1711/2755	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.052 (एकर)	0.0210441
13	1712	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.042 (एकर)	0.0169972
14	1714	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.029 (एकर)	0.0117361
15	1721	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.052 (एकर)	0.0210441
16	2263	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.013 (एकर)	0.005261
17	2267	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.13 (एकर)	0.0526103
18	2268	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	2.123 (एकर)	0.8591663
19	2269/2758	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.03 (एकर)	0.0121408
20	2270	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.003 (एकर)	0.0012141

21	2291	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.402 (एकर)	0.5673816
Total					2.7583974

[फा. सं. NH-12014/7/2025/ODS/East (C No. 260234)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5514(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of new major H.L. Bridge across River ONG at Km 43+500 on NH-26 in the State of Odisha on EPC mode, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Collector, Balangir, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for Construction of new major H.L. Bridge across River ONG at Km 43+500 on NH-26 in the State of Odisha on EPC mode

State: ODISHA			District: BALANGIR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Balangir					
Village: Salebhata					
1	1629	Government	Non Agriculture	0.015 (Acre)	0.0060704
2	1631	Government	Non Agriculture	0.133 (Acre)	0.0538244
3	1667	Private	Residential	0.007 (Acre)	0.0028329

4	1677	Private	Agriculture	0.08 (Acre)	0.0323756
5	1680	Private	Agriculture	0.079 (Acre)	0.0319709
6	1704	Government	Non Agriculture	0.081 (Acre)	0.0327802
7	1707	Government	Residential	0.251 (Acre)	0.1015783
8	1707/2611	Government	Non Agriculture	0.378 (Acre)	0.1529745
9	1709	Government	Residential	0.004 (Acre)	0.0016188
10	1710	Government	Residential	0.147 (Acre)	0.0594901
11	1711	Government	Non Agriculture	1.765 (Acre)	0.7142857
12	1711/2755	Government	Non Agriculture	0.052 (Acre)	0.0210441
13	1712	Government	Non Agriculture	0.042 (Acre)	0.0169972
14	1714	Government	Non Agriculture	0.029 (Acre)	0.0117361
15	1721	Government	Non Agriculture	0.052 (Acre)	0.0210441
16	2263	Government	Non Agriculture	0.013 (Acre)	0.005261
17	2267	Government	Non Agriculture	0.13 (Acre)	0.0526103
18	2268	Government	Non Agriculture	2.123 (Acre)	0.8591663
19	2269/2758	Private	Non Agriculture	0.03 (Acre)	0.0121408
20	2270	Government	Non Agriculture	0.003 (Acre)	0.0012141
21	2291	Government	Non Agriculture	1.402 (Acre)	0.5673816
Total					2.7583974

[F. No. NH-12014/7/2025/ODS/East (C No. 260234)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director